छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 131/2009

1. श्री एच0एस0 रघुवंशी, – *अपीलार्थी*
सी–227, शैलेन्द्र नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग (वि/यां), अंबिकापुर
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 10 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच0एस0 रघुवंशी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 04.07.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि/यां), अंबिकापुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 06.09.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23. 09.2008 को नियमानुसार तत्काल जानकारी प्रदाय करने के आदेश दिये गये, किन्तु उसके बाद कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 01.11.2008 को दस रूपये का नान ज्यूडिशियल स्टॉप उपलब्ध नहीं होना, पावती में कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर मेल नहीं करना एवं आवेदन कार्यालय में जमा नहीं होना बताया, उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.12.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रति अपीलार्थी को पूर्व में नोटिस भेजा गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये थे और अपीलार्थी ने बताया कि उनसे नान ज्यूडिशियल स्टॉप की सत्यापित छायाप्रति अनावश्यक रूप से मॉगी जा रही है, जिनका आवेदन उनके यहॉ पहुंच गया था और जानकारी देनी थी। अतः विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु जन सूचना अधिकारी ने न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया और न ही वे निर्धारित सुनवाई दिनांक 09.06.2009 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा कुछ फर्मों के भुगतान से संबंधित वाऊचर की पावतियॉ चाही गई थी, जो जानकारियॉ संभवतः उक्त अधिकारी देना नहीं चाहते है और उनसे छलकपट किया जा रहा है। आवेदन उनके कार्यालय में डाक विभाग से प्राप्त हुआ है, जिसकी पावती उन्होंने भेजी थी और उनसे अनावश्यक रूप से नान ज्यूडिशियल स्टॉप की छायाप्रति चाही जा रही है, इसके अतिरिक्त यदि मूल आवेदन प्राप्त नहीं होना बता रहे हैं तो अधीक्षण अभियंता ने पत्र दिनांक 23.09.2008 में संलग्न करके आवेदक का आवेदन भी भेजा था, उसके आधार पर भी जानकारी दी जा सकती थी।

कार्यपालन अभियंता द्वारा आयोग का नोटिस एवं कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं समझी। इससे यह स्पष्ट होता है कि किन्हीं कारणों से कार्यपालन अभियंता उक्त जानकारी को छिपाना चाहते हैं और अनावश्यक रूप से बहानेबाजी कर रहे हैं और सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति जन सूचना अधिकारी की लापरवाही और गैर–जिम्मेदाराना रवैया स्पष्ट होता है। अतः विलंब के लिए उन्हें दोषी पाया जाता है और जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता पर अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत पॉच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अब जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त